(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
कर राजस्व						
1.	*निगम कर*					
1.01.	संग्रहण	0020	486113.18	527750.39	575795.77	652168.08
1.02.	अधिभार	0020	21439.48	63711.15	64777.02	73368.91
1.03.	शिक्षा उपकर / स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0020	16305.02	29538.46	30427.21	34463.01
1.04.	शास्तियां	0020	1526.86	...	...	...
1.05.	ब्याज वसूली	0020	3209.30	...	...	...
1.06.	घरेलू कम्पनियों के वितरित लाभों पर कर	0020	41180.67	...	...	...
1.07.	यूनिटधारकों को वितिरित आय पर कर	0020	879.45	...	...	...
1.08.	विविध प्राप्तियां	0020	547.91	...	...	...
जोड़-निगम कर			*571201.87*	*621000.00*	*671000.00*	*760000.00*
2.	*आय पर कर*					
2.01.	संग्रहण	0021	388197.66	461182.33	461182.33	540590.16
2.02.	अधिभार	0021	3172.17	36894.59	36894.59	43232.64
2.03.	शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर	0021	11869.08	19923.08	19923.08	23377.20
2.04.	शास्तियां	0021	424.93	...	...	...
2.05.	ब्याज वसूली	0021	4318.02	...	...	...
2.06.	काले धन के तहत कर	0021	9.94	...	...	...
2.07.	विविध प्राप्तियां	0021	99.63	...	...	...
2.08.	बैंकिंग नकद लेन देन कर (बीसीटीटी)	0036	0.01	...	...	...
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	0034	11881.40	11000.00	11000.00	12800.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.50	...	...	...
2.11.	ब्याज कर	0024	4.45	...	...	...
2.12.	अनुषंगी लाभ कर	0026	-93.29	...	...	...
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028	10887.53	...	...	...
2.13.01.	व्यय कर	0028	...	...	...	...
2.13.02.	आय घोषणा योजना, 2016	0028	...	...	...	...
2.13.03.	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना,2016 हेतु कराधान और निवेश व्यवस्था	0028	...	...	...	...
2.13.04.	अन्य प्राप्तियां	0028	...	...	...	...
जोड़-आय तथा व्यय पर अन्य कर			*10887.53*	...	...	...
2.14.	भू राजस्व	0029	...	...	...	...
2.15.	स्टांप एवं पंजीकरण	0030	...	...	...	...
2.16.	कृषि कल्याण उपकर	0028	...	...	...	...
जोड़-आय पर कर			*430772.03*	*529000.00*	*529000.00*	*620000.00*
3.	*धन कर*					
3.01.	संपदा शुल्क	0031	0.84	...	...	...
3.02.	धन पर कर	0032	62.59	...	...	...
3.03.	उपहार कर	0033	...	...	...	...
जोड़-धन कर			*63.43*	...	...	...
4.	*सीमा शुल्क*					
4.01.	आयात शुल्क					
4.01.01.	बुनियादी शुल्क	0037	80754.66	96300.00	115238.00	130624.00
4.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	33488.61	...	1500.00	...
4.01.03.	विशेष सीवी शुल्क	0037	9603.44	...	50.00	...
4.01.04.	मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क	0037	...	...	...	...

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
4.01.05.	हाई स्पीड डीजल तेल पर सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क	0037	6.77	...	3.00	...
4.01.06.	मोटर स्पिरिट पर सीमा शुल्क पर विशेष अतिरिक्त शुल्क	0037	...	...	...	...
4.01.07.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क	0037	576.68	750.00	515.00	545.00
4.01.08.	शिक्षा उपकर	0037	2014.20	...	38.00	...
4.01.09.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	984.32	...	14.00	...
4.01.10.	समाज कल्याण अधिकार	0037	1206.99	8000.00	9000.00	...
जोड़-आयात शुल्क			*128635.67*	*105050.00*	*126358.00*	*10080.00*
4.02.	निर्यात शुल्क	0037	163.72	288.00	200.00	224.00
4.03.	निर्यात पर उपकर	0037	230.53	112.00	280.00	315.00
4.04.	अन्य प्राप्तियां	0037	...	7050.00	3200.00	3600.00
4.05.	सार्वजनिक नीलामी द्वारा सोने की बिक्री	0037	...	...	...	...
4.06.	जब्त माल की बिक्री प्राप्तियां	0037	...	...	...	...
4.07.	एंटी डंपिंग शुल्क	0037	...	...	...	...
4.08.	सुरक्षा शुल्क	0037	...	...	...	...
जोड़-सीमा शुल्क			*129029.92*	*112500.00*	*130038.00*	*145388.00*
5.	***केंद्रीय उत्पाद शुल्क***					
5.01.	बुनियादी और विशेष उत्पाद शुल्क मोटर स्प्रिट और हाई स्पीड डीजल तेल पर उपकर को छोड़कर	0038	116886.22	94000.00	93777.00	81565.00
5.02.	मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	21935.11	...	...	...
5.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	61181.31	...	...	...
5.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	2938.44	1750.00	1800.00	1935.00
5.05.	मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	27343.04	36000.00	32000.00	32000.00
5.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	989.70	...	0.18	...
5.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
5.07.01.	शिक्षा उपकर	0038	12.89	...	2.75	...
5.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	5.59	...	1.41	...
5.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	13579.21	14850.00	19000.00	20900.00
5.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	32.60	...	0.02	...
5.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	793.40	...	8.35	...
5.07.06.	ऑटोमोबाईल पर उपकर	0038	96.42	...	0.08	...
5.07.07.	अन्य	0038	48.61	...	0.50	...
5.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	0038	11463.43	...	2.83	...
5.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	903.90	...	6.88	...
5.07.10.	मोटर स्प्रिट हाई स्पीड डीजल तेल पर उत्पादन शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर)	0038	...	113000.00	113000.00	120000.00
जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर			*26936.05*	*127850.00*	*132022.82*	*140900.00*
5.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
5.08.01.	कोयला और कोक	0038	323.30	...	2.00	...
5.08.02.	नमक	0038	...	...	...	...
5.08.03.	रबड़	0038	90.81	...	10.00	...
5.08.04.	अभ्रक	0038	...	...	...	...
5.08.05.	लौह अयस्क, मैगनीज और क्रोम अयस्क	0038	...	...	...	...
5.08.06.	चूना पत्थर और डोलोमाइट	0038	...	...	...	...
5.08.07.	सिने कर्मी	0038	...	...	...	...
5.08.08.	प्रदूषण (वायु और जल) निवारण और नियंत्रण	0045	181.10	...	0.20	...
5.08.08.01.	व्यय की तुलना में निवल प्राप्तियां	0045	-174.82	...	...	...

(₹ करोड़)

कर राजस्व		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
निवल			*6.28*	...	*0.20*	...
5.08.09.	अनुसंधान और विकास	0045	191.41	...	...	...
5.08.10.	बीड़ी निधि	0038	11.48	...	...	...
5.08.11.	अन्य खातों के अंतर्गत उपकर	0045	...	...	...	...
5.08.12.	वस्त्र और वस्त्र मशीनरी पर संग्रहित उपकर	0038	0.47	...	...	...
निवल-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर			*623.75*	...	*12.20*	...
निवल-केंद्रीय उत्पाद शुल्क			*258833.62*	*259600.00*	*259612.20*	*259600.00*
6.	***सेवा कर***					
6.01.	संग्रहण	0044	74150.66	...	8655.00	...
6.02.	शिक्षा उपकर	0044	34.91	...	12.00	...
6.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	19.20	...	6.00	...
6.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	4243.40	...	240.00	...
6.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	2779.90	...	370.00	...
जोड़-सेवा कर			*81228.07*	...	*9283.00*	...
7.	***वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क***					
7.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040	...	...	...	...
7.02.	अन्य कर	0045	597.66	...	...	...
जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क			*597.66*	...	...	...
8.	***वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)***					
8.01.	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	0005	203261.40	603900.00	503900.00	610000.00
8.02.	समेकित माल एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	0008	176688.44	50000.00	50000.00	50000.00
8.03.	जीएसटी प्रतिूरती उपकर प्रतिपूर्ति	0009	62611.59	90000.00	90000.00	101200.00
जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)			*442561.43*	*743900.00*	*643900.00*	*761200.00*
9.	***संघ राज्य क्षेत्रों के कर***					
9.01.	भू राजस्व	0710	4.08	8.75	10.00	39.00
9.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	205.37	225.80	224.00	228.00
9.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	780.00	1000.00	1059.00	1137.00
9.04.	बिक्री कर	0710	1706.49	1165.00	1235.00	1418.00
9.05.	वाहनों पर कर	0710	217.83	256.00	236.00	250.00
9.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	11.25	12.00	12.00	13.00
9.07.	बिजली पर कर और शुल्क	0710	34.41	35.00	36.00	37.00
9.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	126.15	9.01	...	...
9.09.	केंद्र शासित माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	1635.10	2530.00	2530.00	2821.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			*4720.68*	*5241.56*	*5342.00*	*5943.00*
10.	**घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी**					
10.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-576.68	-750.00	-515.00	-545.00
10.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-2938.44	-1750.00	-1800.00	-1935.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी			*-3515.12*	*-2500.00*	*-2315.00*	*-2480.00*
11.	**घटाइए-राज्यों का हिस्सा**	0710	-673005.29	-768412.57	-736879.65	-844605.48
12.	**घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन**	0710	...	-19679.95	-24574.50	...
जोड़-कर राजस्व			**1242488.30**	**1480649.04**	**1484406.05**	**1705045.52**
कुल जोड़			*1242488.30*	*1480649.04*	*1484406.05*	*1705045.52*

. उपर्युक्त विवरण में मोटे तौर पर 2019-20 के लिए कर प्राप्तियों के अनुमानों का सार है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त खण्डों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे के साथ-साथ बजट और संशोधित अनुमान, 2018-19 के बीच अन्तर तथा 2019-20 के बजट अनुमान नीचे दिए गए हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार, जिसे 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया, क्रमश: अनुच्छेद 268 और 269 में

उल्लिखित शुल्कों और करों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत विशेष उद्देश्य से लगाए गए किसी उपकर को छोड़कर, संघीय सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाएंगे और केन्द्र और राज्यों के बीच इस प्रकार संवितरित किए जाएंगे जैसाकि वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015-2020 तक की अवधि के लिए, केन्द्र और राज्यों के बीच संवितरण का तरीका चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपनाया गया है।

1. **निगम कर :** यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2018-2019 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, 6,71,0000.00करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 6,21,000.00करोड़ रुपए है। 2019-20 का बजट अनुमान 7,60,000.00 करोड़ रुपए है।

2. **आय पर कर :** यह कर, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2018-2019 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, 529000.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, 529000.00 करोड़ रुपए है। 2019-20 के लिए बजट अनुमान 620000.00 करोड़ रुपए है।

शिक्षा उपकर जिसमें 3% की दर से प्राथमिक शिक्षा उपकर और माध्यमिक शिक्षा उपकर शामिल है, किन्तु वर्ष 2018-19 से हटा दिया गया है और वित्त वर्ष 2018-19 से आयकर के 4% की दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लिया जा रहा है।

3. **धन कर**: धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिख्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। वर्ष 2017-18 के लिए धन कर का वास्तिवक संकलन 63.43 करोड़ रुपये था । वर्ष 2016-17 से यह कर हटा दिया गया है।

4. **सीमाशुल्क :** वर्ष 2018-19 के लिए सीमाशुल्क का संशोधित अनुमान 1,30,038 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 1,12,500 करोड़ रुपए था। वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान 1,45,388 करोड़ रुपए है।

4.01.01. बुनियादी शुल्क : सीमाशुल्क का बुनियादी शुल्क, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर उदग्रहणीय है।

4.01.02. सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीबीडी) : सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत, सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क ऐसे घरेलू विनिर्मित माल पर उदग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समतुल्य होता है। 1 जुलाई 2017 से यह शुल्क (कुछ उन पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो वस्तु और सेवा कर के दायरे में नहीं आते) वस्तु और सेवा कर में शामिल कर दिया गया है।

4.01.03. विशेष सी.वी. शुल्क : सभी आयातित माल पर बिक्री कर, वैट, स्थानीय कर या अन्यथा को प्रतिसंतुलित करने के लिए विशेख़ सीवी शुल्क कुछ अपवादों के साथ 4 प्रतिशत की दर से उदग्रहणीय है। 1 जुलाई 2017 से यह शुल्क (कुछ उन पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जो वस्तु और सेवा कर के दायरे में नहीं आते) वस्तु और सेवा कर में शामिल कर दिया गया है।

4.01.04. मोटर स्प्रिट पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क : मोटर स्प्रिट पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम (सं. 2), 1998 द्वारा उदग्रहणीय होता है। इस शुल्क को सड़क उपकर और अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

4.01.05. हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क : हाई स्पीड डीजल ऑयल पर सीमा शुल्क का अतिरिक्त शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 द्वारा उदग्रहणीय होता है। इसे सामान्यत: सड़क उपकर के रूप में जाना जाता है।

4.01.06. मोटर स्प्रिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क : मोटर स्प्रिट पर सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क, वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा उदग्रहणीय होता है। इसे सामान्यत: अधिभार के रूप में जाना जाता है।

4.01.07. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क : राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क वित्त अधिनियम, 2001 के अंतर्गत कुछ विशेष तंबाकू उत्पादों पर और वित्तीय अधिनियम, 2003 के अंतर्गत कच्चे पेट्रोलियम पर उदग्रहणीय है । 1 जुलाई 2017 से अन्य वस्तुओं पर यह कर वस्तु एवं सेवा कर में शामिल कर दिया गया है।

4.01.08. शिक्षा उपकर : कुल सीमा शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर उदग्रहणीय है (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और 8ग धारा 9 के तहत सीवीडी और धारा 9क के तहत डम्पिंग-रोधी शुल्क के तहत संरक्षण शुल्क को छोड़कर)। अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के तहत आबद्ध दरों पर सीमा शुल्क लगाई जाने वाली वस्तुओं को इस उपकर से मुक्त रखा गया है।

4.01.09. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर : कुल सीमा शुल्कों पर 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर उदग्रहणीय है।

4.02. निर्यात शुल्क : कुछ विनिर्दिष्ट मदों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।

बकाया संग्रहण : वर्ष 2017-18 में सीमा शुल्क का वास्तविक बकाया संग्रहण 10.85 करोड़ रुपए था। सीमा शुल्क के बकाया संग्रहण के लिए संशोधित अनुमान 2018-19 और बजट अनुमान 2019-20 क्रमश: 4315 करोड़ रुपए और 1500 करोड़ रुपए है।

5. **संघीय उत्पाद शुल्क** : वर्ष 2018-19 के लिए संघीय उत्पाद शुल्क का संशोधित अनुमान 2,59,612.20 करोड़ रुपए है जबकि बजट अनुमान 2,59,600 करोड़ रुपए था। वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान 2,59,600 करोड़ रुपए है।

5.01. **बुनियादी उत्पाद शुल्क** : केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के तहत बुनियादी उत्पाद शुल्क और विशेष उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। औसत सेनवैट दर को 27.02.2010 से 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तथा 17.03.2012 से 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर को 01.03.2015 से केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सम्मिलित किया गया है तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क की मानक सैनवेट दर को उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर 12.5 पर तर्कसंगत किया गया था।

5.02. **मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क**: मोटर स्प्रिट पर अतिरिक्त उत्पाद का शुल्क, वित्त अधिनियम (सं. 2) 1998 द्वारा लगाया जाता है। इसे सड़क और संरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।

5.03. **हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क**: हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। इसे सड़क और संरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।

5.04. **राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क** : राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क, कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर वित्त अधिनियम, 2001 के तहत लगाया जाता था। और वित्त विधेयक, 2003 के तहत कच्चे पेट्रोलियम पर लगाया जाता है। 1 जुलाई 2017 से अन्य वस्तुओं पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) वस्तु और सेवा कर में शामिल कर दिया गया है।

5.05. **मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क** : मोटर स्प्रिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया है। इसे सामान्यत: अधिभार के रूप में जाना जाता है।

5.06. **पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार** : सिगरेट, पान मसाला, तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बजट 2005-06 में विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया। बीड़ी पर यह अधिभार नहीं लगाया जाता है।

5.07.08. स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्ववर्ती स्वच्छ ऊर्जा उपकर) : इसे वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के तहत भारत में निर्मित कच्चा कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाया गया था। यह उपकर 1.7.2010 से प्रवृत्त हुआ है और इसे उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहीत किया जाता है।

बकाया संग्रहण : 2017-18 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बकाया वास्तविक संग्रहण 1866 करोड़ रुपए रहा। इसके संग्रहण के लिए संशोधित अनुमान 2018-19 और बजट अनुमान 2019-20 में क्रमश: 2338 करोड़ रुपए और 3000 करोड़ रुपए है।

6. **सेवा कर:** शून्य बजट अनुमान के स्थान पर अवशिष्ट अभी बकाया भुगतानों के कारण वर्ष 2018-19 के लिए सेवा कर का संशोधित अनुमान 9,283 करोड़ रुपए है। 1 जुलाई 2017 से पूरा सेवाकर वस्तु और सेवा कर में शामिल कर दिया गया है।

बकाया संग्रहण : वर्ष 2017-18 में बकाया सेवाकर का वास्तविक संग्रहण 2265 करोड़ रुपए था। बकाया सेवा कर के संग्रहण के लिए 2018-19 और 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान क्रमश: 3347 करोड़ रुपए और 3000 करोड़ रुपए है।

8. **वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) :** वस्तु और सेवा कर 01 जुलाई 2017 को प्रवृत्त हुआ है। जीएसटी, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर लगने वाला कर है जिसमें मानव प्रयोग के लिए आपूर्ति की जाने वाली शराब शामिल नहीं है।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी का संशोधित अनुमान क्रमश: 5,03,900.00 करोड़ रुपए और 50,000 करोड़ रुपए है जबकि उनका बजट अनुमान क्रमश: 6,03,900.00 करोड़ रुपए और 50,000.00 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2019-20 के सीजीएसटी और आईजीएसटी का बजट अनुमान क्रमश: 6,10,000 करोड़ रुपए और 50,000.00 करोड़ रुपए है। आईजीएसटी राजस्व, क्रेडिट के पारस्परिक उपयोग के परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच विनियोग और निधियों के निर्धारण के अध्यधीन है।